भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-48

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

तेलंगाना में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इकाई में दुर्घटना

***48. श्री देवेंदर गौड टी.:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तेलंगाना में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की एक इकाई में दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्व में भी तीन वर्ष पहले इसी इकाई में एक दुर्घटना हुई थी;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पूर्व में हुई दुर्घटना से कोई सबक नहीं सीखा जिसके कारण वर्तमान दुर्घटना हुई; और

(ङ) मंत्रालय ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>**विवरण**</u>

"तेलंगाना में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इकाई में दुर्घटना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 48 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : तेलंगाना में एनटीपीसी रामागुण्डम की यूनिट सं. 4 में दिनांक 30-10-2016 को एक उपस्कर में खराबी हुई। कोयला बंकर '4बी' का बंकर हॉपर जाइंट खराब हो गया, जिसके कारण कोयला बंकर '4बी' का कॉनिकल हिस्सा अलग हो गया और फीडर फ्लोर पर गिर गया। उपर्युक्त घटना के कारण कोई हताहत अथवा घायल नहीं हुआ।

(ग) : कोयले की स्लाइडिंग के कारण एनटीपीसी रामागुण्डम में दिनांक 7-11-2013 को एक दुर्घटना हुई थी।

(घ) और (ङ) : वर्तमान घटना का दिनांक 7-11-2013 को हुई दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। पिछली दुर्घटना से संबंधित सभी उपचारात्मक उपाय पहले ही कर दिए गए हैं और कार्यान्वित भी किए जा चुके हैं। यह दुर्घटना उपस्कर की खराबी के कारण हुई थी, इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई विचार नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-52

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने वाले राज्य

***52. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक राज्य उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे 'उदय' के अधीन अपनी विद्युत वितरण हानि में कमी/गिरावट सुनिश्चित करें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए शेष राज्यों को भी 'उदय' के अधीन शामिल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>**विवरण**</u>

"उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने वाले राज्य" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 52 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : अब तक सोलह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा एक संघ राज्य क्षेत्र पुडुच्चेरी ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-I** में है।

(ग) और (घ) : जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने उदय के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उन सभी ने समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों में कमी करना प्रारंभ कर दिया है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-II** में है।

(ङ) : उदय की शुरुआत राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक टर्न-अराउंड के लिए की गई थी। इसमें शामिल होना राज्यों के लिए ऐच्छिक है। इस स्कीम में और अधिक राज्य शामिल हो सकें, इसके लिए सरकार ने इसमें शामिल होने की समय-सीमा दिनांक 31.03.2017 तक बढ़ा दी है।

****

<u>**अनुबंध-I**</u>

"उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने वाले राज्य" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

****

<u>जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने उदय के अंतर्गत समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका ब्यौरा</u>

क्रम सं.	**राज्य**	**डिस्कॉम**	**हस्ताक्षर की तिथि**
1.	राजस्थान	अजमेर (एवीवीएनएल)	27-01-2016
		जोधपुर (जेवीवीएनएल)	
		जयपुर (जेवीवीएनएल)	
2.	उत्तर प्रदेश	यूपीपीसीएल	30-01-2016
3.	बिहार	उत्तरी बिहार (एनबीपीडीसीएल)	22-02-2016
		दक्षिणी बिहार (एसबीपीडीसीएल)	
4.	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीडी	15-03-2016
5.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल	11-03-2016
6.	झारखंड	जेबीवीएनएल	05-01-2016
7.	उत्तराखंड	यूपीसीएल	31-03-2016
8.	पंजाब	पीएसपीसीएल	04-03-2016
9.	गुजरात	जीयूवीएनएल	13-02-2016
10.	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	25-01-2016
11	गोवा	गोवा-ईडी	16-06-2016
12	कर्नाटक	मेस्कॉम हेस्कॉम बेस्कॉम गेस्कॉम सीईएससी	16-06-2016
13	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल, एपीईपीडीसीएल	24-06-2016
14	मणिपुर	मणिपुर-पीडी	26-07-2016
15	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल एमपीएमकेवीवीसीएल एमपीपीओकेवीवीसीएल	10-08-2016
16	पुडुचेरी	पुडुचेरी-ईडी	10-08-2016
17	महाराष्ट्र	एमएसपीडीसीएल	07-10-2016

****

अनुबंध-II

"उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने वाले राज्य" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

****

समझौता ज्ञापन में ट्रैजेक्ट्री में दी गई सहमति के अनुसार घटाए जाने वाली एटीएंडसी हानियां

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्त वर्ष 2015	वित्त वर्ष 2016	वित्त वर्ष 2017	वित्त वर्ष 2018	वित्त वर्ष 2019	वित्त वर्ष 2020
1.	राजस्थान	अजमेर (एवीवीएनएल)		24.00%	20.00%	17.5%	15.00%	
		जोधपुर (जेवीवीएनएल)		22.4%	18.00%	16.5%	15.00%	
		जयपुर (जेवीवीएनएल)		28.00%	22.00%	18.5%	15.00%	
2.	उत्तर प्रदेश	यूपीपीसीएल		32.36%	28.27%	23.63%	19.36%	14.86%
3.	बिहार	उत्तरी बिहार (एनबीपीडीसीएल)		40.00%	34.00%	28.00%	20.00%	15.00%
		दक्षिणी बिहार (एसबीपीडीसीएल)		44.00%	38.00%	30.00%	22.00%	15.00%
4.	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीडी		56.00%	46.00%	35.00%	25.00%	15.00%
5.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल		28.05%	24.02%	20.04%	15.00%	
6.	झारखंड	जेबीवीएनएल		35.00%	28.00%	22.00%	15.00%	
7.	उत्तराखंड	यूपीसीएल		17.00%	16.00%	15.00%	14.50%	
8.	पंजाब	पीएसपीसीएल		16.16%	15.30%	14.50%	14.00%	
9.	गुजरात	जीयूवीएनएल	14.64%	14.50%	14.00%	13.50%	13.00%	
10.	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल		21.00%	18.93%	18.00%	15.00%	
11	गोवा	गोवा-ईडी		21.06%	18.75%	16.59%	15%	
12	कर्नाटक	बेस्कॉम	16.76%	12.94%	14.61%	14.36%	14.08%	
		मेस्कॉम	15.11%	12.99%	12.55%	11.79%	11.70%	
		हेस्कॉम	20.44%	18.10%	17.68%	17.02%	15%	
		गेस्कॉम	22.01%	20.65%	17.75%	16.67%	15%	
		सीईएससी	17.11%	16.20%	15.16%	14.74%	14.50%	
13	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल		5.48%	5.46%	5.45%	5.44%	
		एपीएसपीडीसीएल		11.49%	11.29%	11.09%	10.89%	
14	मणिपुर	मणिपुर-पीडी		44.20%	25.15%	18.70%	15%	
15	मध्य प्रदेश	एमपीपीकेवीवीसीएल		22.38%	20.40%	18.41%	16.27%	15%
		एमपीएमकेवीवीसीएल		28.65%	22.09%	19.19%	17.20%	15%
		एमपीपीओकेवीवीसीएल		22.65%	19.72%	17.73%	15.59%	15%
16	पुडुचेरी	पुडुचेरी-ईडी		19.88%	19%	15%	12%	
17	महाराष्ट्र	एमएसपीडीसीएल		17.31%	16.74%	15.61%	14.39%	

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-53
जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत क्षमता का कम उपयोग

***53. श्री आनन्द शर्माः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ताप विद्युत उत्पादन की मौजूदा क्षमता का कम उपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ताप विद्युत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) सरकार ताप विद्युत उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"ताप विद्युत क्षमता का कम उपयोग" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी, हाँ।

(ख) : चालू वर्ष 2016-17 के दौरान (अप्रैल-अक्तूबर, 2016) कोयला एवं लिग्नाइट आधारित 2.67% ताप विद्युत इकाइयां विद्युत का कोई उत्पादन नहीं कर सकीं।

(ग) : विद्युत उत्पादन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

i. देश में स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को पुनः चालू करने और उपयोग में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) की सहायता से एक स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में, रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए, स्ट्रैंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयातित आरएलएनजी की आपूर्ति किए जाने की परिकल्पना है।

ii. राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्न-अराउंड तथा प्रचालनात्मक सुधार की एक स्कीम उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) अनुमोदित की है, जिससे वे उत्पादकों से और अधिक विद्युत की खरीद कर पाएंगे और इस प्रकार उनके संयंत्र भार कारक में वृद्धि होगी।

iii. पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण और कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के अंतर्गत कार्यान्वयन।

iv. राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से की गई "सभी के लिए 24x7 विद्युत" पहल से, विद्युत के लिए पहुंच में वृद्धि होगी तथा तदनुसार, विद्युत की मांग में भी वृद्धि होगी जिससे विद्युत उत्पादन के उपयोग में वृद्धि होगी। 36 में से 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजनाएं पहले ही तैयार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वयनाधीन है।

v. 12वीं योजना अवधि के दौरान, सितंबर, 2016 तक कुल 3000 मेगावाट की अकुशल ताप विद्युत उत्पादन क्षमता को बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, और अधिक दक्ष संयंत्रों का बेहतर उपयोग होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-561

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

झारखंड में एन टी पी सी द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध

561. श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि झारखंड के चिराढीह में एन टी पी सी लि. द्वारा जमीन का अधिग्रहण करने के खिलाफ विरोध करते समय कई लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान इस भूमि संबंधी विवाद के कारण मारे गए/जख्मी हुए लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एन टी पी सी लि. द्वारा मृत लोगों के परिवार के सदस्यों और जख्मी लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने पकरी-बरवाडीह खान में निजी भूमि के परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को, झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर भूमि के लिए मुआवजे और आरएण्डआर लाभों का संवितरण किया है। तत्पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श के अनुसार, भूमि के मुआवजे को दो बार बढ़ाया गया है।

एनटीपीसी ने यह सूचित किया है कि दिनांक 01.10.2016 को चिरुडीह क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरोध के दौरान, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस वाहन रोक दिया तथा पथराव शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हवाई फायर, आंसू गैस आदि जैसे निवारात्मक कदम उठाए, परंतु भीड़ नियंत्रित नहीं की जा सकी तथा इससे परिमंडल अधिकारी (सीओ) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी स्थिति में, विरोध करने वालों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई और कुछ ग्रामीण घायल हुए।

(ग) : एनटीपीसी ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 2 लाख रुपये तथा घायल के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा घोषित किया है। एनटीपीसी ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 7 लाख रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव रखा है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-562
जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण के लिए पृथक संगठन

562. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण तंत्र की योजना की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पृथक रूप से संगठन बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। सरकार ने प्रचालनात्मक और वित्तीय स्वायत्तता वाली समर्पित कम्पनी के रूप में पृथक निकाय के सृजन पर विचार किया है, जो अन्य कार्यों के साथ **सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी** (सीटीयू) के वैधानिक कार्यों का निवर्हन करेगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत प्रणाली आयोजना शामिल है।

इस प्रकार के निकाय के सृजन का प्रस्ताव वर्तमान में प्रारम्भिक चरण में है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-563
जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली खपत प्रणाली को सरल बनाना

563. श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में बिजली खपत प्रणाली को सरल बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। विद्युत का वितरण तथा इस**की** खपत राज्य सरकार/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम) के कार्य क्षेत्र **में** आ**ता** है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं तैयार करके राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिनमें ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब, कृषि संबंधी पंप, पंखे एवं एयर कंडीशनर तथा पीएटी (निष्पादन, उपलब्धि, व्यापार) स्कीम के माध्यम से उद्योग में ऊर्जा दक्षता लाना शामिल है।

भारत सरकार उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** (डीडीयूजीजेवाई) तथा **एकीकृत विद्युत विकास स्कीम** (आईपीडीएस**)** के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता भी कर रही है। इससे देश में विद्युत की खपत में सुधार **लाने में सहायता मिलेगी**।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-564

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी के स्टेशनों से आवंटित बिजली का विभाजन

564. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

मंत्रालय नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन से आवंटन के अलावा ओडिशा के बाहर स्थित लगने वाले एनटीपीसी स्टेशनों से आवंटित बिजली का विभाजन कब अधिसूचित करेगी ताकि राज्य पर बिजली प्राप्त किए बिना नियत लागत का भुगतान करने का बोझ न पड़े?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

उत्तर : राज्यों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर एनटीपीसी ने अपने लाभार्थी राज्यों के लाभ के लिए विद्युत स्टेशन चालू किए हैं। तदनुसार, ओडिशा सहित राज्यों एवं एनटीपीसी के बीच विद्युत क्रय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ओडिशा सरकार ने 28 जून, 2014 के पत्र के तहत राज्यों से बाहर स्थित एनटीपीसी स्टेशनों की विद्युत अभ्यर्पित की है। यह विद्युत प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों को ओडिशा सरकार का अनुरोध भेज दिया गया है तथा इस अनुरोध के साथ कि इच्छुक राज्य ऐसी विद्युत प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर भी पत्र पोस्ट कर दिया गया है।

सीईआरसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्पित विद्युत अन्य लाभार्थियों को पुन:आवंटित की जा सकती है यदि वे ऐसी विद्युत प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

उत्तर प्रदेश से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर ओडिशा द्वारा अभ्यर्पित न्यू नबीनगर यूनिट-I से 155 मेगावाट विद्युत उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई थी। अन्य **लाभग्राही** राज्यों द्वारा केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों **से** ओडिशा की अभ्यर्पित विद्युत का लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान में, विद्युत मंत्रालय के पास कोई अनुरोध नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-565

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

देश में बिजली की स्थिति

565. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से हुआ है और यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ख) घरों और लोगों की संख्या का ब्यौरा जिन्हें अभी तक बिजली सुविधा प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली की स्थापित क्षमता और खपत क्या है; और

(घ) बिजली की अप्रयुक्त क्षमता क्या है और यदि हां, तो यह कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव थे। दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 10,628 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं तथा शेष 7,824 गैर-विद्युतीकृत गांवों को मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के 1678 लाख ग्रामीण घरों में से 750 लाख गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घर थे, तथापि, दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक सहित 249.89 लाख बीपीएल घरों को कनैक्शन जारी किए गए हैं।

(ग) : विगत 3 वर्षों अर्थात् 2013-14 से 2015-16 के दौरान भारत में विद्युत की संस्थापित क्षमता नीचे दी गई है :

वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
संस्थापित क्षमता {आरईएस (मेगावाट) सहित}	245258.53	271722.17	302087.84

वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान भारत में विद्युत की खपत नीचे दी गई है :

वर्ष	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
बिजली की खपत (जीडब्ल्यूएच)	824301.17	874208.57	948521.82

(घ) : दिनांक 14.11.2016 की स्थिति के अनुसार, लाभग्राहियों से **इसका** कार्यक्रम न मिलने के कारण, 23273.5 मेगावाट क्षमता की कोयला एवं लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों का उपयोग (**रिजर्व शट डाउन**) नहीं हुआ। गैस एवं अन्य तरल/बहु ईंधन विद्युत स्टेशनों की उपयोग में नहीं लाई जा रही क्षमता की मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-566

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के तहत ठेकों को आगे दूसरे लोगों को देना

566. श्री नीरज शेखरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरजीजीवीवाई के तहत जिन निजी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इन कंपनियों ने उन राज्यों में आगे छोटी कंपनियों को काम के ठेके दे दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ठेका प्राप्त करने वाली उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विशेषकर मध्य प्रदेश के पिपरिया स्थल पर छोटी कंपनियों द्वारा गत एक वर्ष से काम पूरा कर दिए जाने के बाद भी संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(ङ) सरकार द्वारा चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) संघटक के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की निविदा राज्य/डिस्कॉम द्वारा अवार्ड की जाती है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ द्वारा अवार्ड की गई परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध-I** तथा **अनुबंध-II पर** दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, विद्युतीकरण कार्यों की संविदाएं राज्य की संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अवार्ड की जाती हैं। छत्तीसगढ़ की डिस्कॉम ने सूचित किया है कि मैसर्स पवानी कंट्रोल्स एंड पैनल्स प्रा. लि. को अवार्ड की गई बस्तर की संविदा को आगे मैसर्स छडालवाड़ा इंफ्राटेक प्रा. लि., हैदराबाद को उप-संविदा पर दिया गया है।

इसी प्रकार से, मध्य प्रदेश की संबद्ध डिस्कॉम (एमपीपीकेवीवी कं. लि.) ने सूचित किया है कि मैसर्स जीईआई इंडस्ट्रियल सिस्टम लि., भोपाल को अवार्ड की गई जिला खंडवा, मंदसौर तथा नीमच की संविदा को आगे मैसर्स नीलशिखा इंफ्रा, इंदौर को उप-संविदा पर दे दिया गया है।

(घ) : मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ङ) : राज्य सरकारों/डिस्कॉम को चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध, संविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उचित आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

****

<u>**अनुबंध-I**</u>

राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उन निजी कंपनियों, जिन्हें एमपीएमकेवीवीसीएल, भोपाल में पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संविदाएं अवार्ड की गई हैं, के ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	संविदाकार का नाम और पता
1.	भोपाल	मैसर्स आनंद इलेक्ट्रिकल 415-16, डीडीए बिल्डिंग नं.1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, दिल्ली
2.	रायसेन	मैसर्स ड्रेक एण्ड स्कल वाटर एण्ड एनर्जी इंडिया प्रा.लि. 632-33-34, 6ठा तल, बीपीटीबी पार्क, सेंट्रल टावर, बी सेक्टर-30, गुड़गांव
3.		मैसर्स सनफील्ड लि. 112, गंगा जमुना कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं.202, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल
4.	होशंगाबाद	मैसर्स ड्रेक एण्ड स्कल वाटर एण्ड एनर्जी इंडिया प्रा.लि. 632-33-34, 6ठा तल, बीपीटीबी पार्क, सेंट्रल टावर, बी सेक्टर-30, गुड़गांव
5.	हर्दा	मैसर्स हीथ्रो पावर कारपोरेशन लि. टेक्प्रो हाउस-78, सेक्टर-34, गुड़गांव, हरियाणा-122001
6.		मैसर्स सावन एसोसिएटस प्लॉट नं.23, दूबे लेआउट, विट्ठल रूक्मिणी नगर, कटोल रोड, नागपुर
7.	विदिशा	मैसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशंस प्रा. लि. 129, ट्रांसपोर्ट सेंटर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-35
8.		मैसर्स पीके इंडस्ट्रीज-कुसुम इंडस्ट्रीज-उमेद सिंह (जेवी) हाउस नं.956/2, मैदा मिल के निकट, भोपाल
9.	सेहोर	मैसर्स एमडीपी इंफ्रा (इंडिया) प्रा.लि.-एनकेजी (जेवी), ग्वालियर 464-465, सुरेश नगर, थातिपुर, ग्वालियर
10.	राजगढ़	मैसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि.-केसीपी (जेवी) सिम्प्लेक्स हाउस 27, शेक्सपीयर सरनी, कोलकाता-700017
11.	भिंड	मैसर्स बी.एस. लि. (जेवी) 504, ट्रेंडसेट टावर्स, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद
12.		मैसर्स डी कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि. सी-8, यूपीएसआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग कुंज, पनकी, कानपुर
13.	मुरैना	मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. 801, 8वां तल, रुस्तमजी एस्पिरी भानु शंकर याग्निक मार्ग, ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सियोन (ईस्ट), मुम्बई-400022
14.	दतिया	मैसर्स डी कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि. सी-8, यूपीएसआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग कुंज, पनकी, कानपुर

15.	ग्वालियर	मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. 801, 8वां तल, रुस्तमजी एस्पिरी भानु शंकर याग्निक मार्ग, ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सियोन (ईस्ट), मुम्बई-400022
16.	शिवपुरी	मैसर्स हीथ्रो पावर कारपोरेशन लि. टेक्प्रो हाउस-78, सेक्टर-34, गुड़गांव, हरियाणा-122001
17.		मैसर्स डी कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि. सी-8, यूपीएसआईडीसी, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग कुंज, पनकी, कानपुर
18.	गुना	मैसर्स श्याम इंडस 129, ट्रांसपोर्ट सेंटर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-35
19.	अशोक नगर	मैसर्स एनर्गो एब्सोल्यूट ई-42/2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-20
20.	बैतूल	मैसर्स हीथ्रो पावर कारपोरेशन लि. टेक्प्रो हाउस-78, सेक्टर-34, गुड़गांव, हरियाणा-122001
21.		मैसर्स बी.एस. लि. 504, ट्रेंडसेट टावर्स, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद
22.	गुना का 33/11 केवी सबस्टेशन, अशोक नगर एवं शिवपुरी	मैसर्स सावन एसोसिएटस प्लॉट नं.23, दूबे लेआउट, विठ्ठल रुक्मिणी नगर, कटोल रोड, नागपुर

उन निजी कंपनियों, जिन्हें एमपीपीओकेवीवीसीएल, जबलपुर में पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संविदाएं अवार्ड की गई हैं, का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	संविदाकार का नाम
1.	दामोह	रामकी
2.	जबलपुर	रामकी
		एसन
		केईसी
		रामकी
3.	शिवनी	रामकी
		रामकी
		रामकी
		मैत्स
		यूबीटेक
4.	छिंदवाड़ा	मैत्स
		मैत्स
		मैत्स
		मैत्स
		मैत्स
		बजाज
5.	उमरिया	जीवीपीआर
		केईआई
6.	सागर	एसन
7.	शहडोल	आईसीएसए
		एलटेल पावर
8.	कटनी	एसन
9.	पन्ना	आईसीएसए
		बीएस ट्रांसकॉम लि. एंड सोन्ना इंजी.
10.	रीवा	आईसीएसए
		बीएस ट्रांसकॉम लि. एंड सोन्ना इंजी.
11.	मंडला	जीवीपीआर
12.	नरसिंघपुर	रोहिणी
13.	टीकमगढ़	रोहिणी

क्र.सं.	जिला का नाम	संविदाकार का नाम
14.	डिंडोरी	रोहिणी एलटेल
15.	बालाघाट	जीवीपीआर
16.	अनूपपुर	बजाज
17.	छतरपुर	जीवीपीआर
18.	सिद्धि	बजाज
19.	सतना	एलटेल
20.	बालाघाट	बजाज
21.	सिद्धि	बजाज
22.	छतरपुर	एलटेल पावर
23.	सतना	एलटेल पावर
24.	शहडोल	बजाज
25.	अनूपपुर	बजाज
26.	सिद्धि	बजाज
27.	रीवा	बजाज
28.	बालाघाट	बजाज
29.	मंडला	वोल्टास, मुम्बई
30.	डिंडोरी	वोल्टास, मुम्बई
31.	जबलपुर	कैबकून
32.	कटनी	कैबकून
33.	सागर	ईस्ट इंडिया
34.	छतरपुर	बजाज
35.	पन्ना	बजाज
36.	टीकमगढ़	केईआई इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
37.	सतना	विंध्य टेलीलिंक्स, नई दिल्ली
38.	छिंदवाड़ा	विंध्य टेलीलिंक्स, नई दिल्ली

उन निजी कंपनियों, जिन्हें एम.पी.पी.के.वी.वी.कं.लि., पोलो ग्राउंड, इंदौर में पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संविदाएं अवार्ड की गई हैं, का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	संविदाकार का नाम
1.	इंदौर	मैसर्स नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि., इंदौर
2.	उज्जैन	मैसर्स आईसीएसए लि., हैदराबाद
3.		मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस कंपनी लि.
4.		मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस कंपनी लि.
5.	धार	मैसर्स जी.ई.टी. पावर प्रा.लि., चेन्नई
6.		मैसर्स जी.ई.टी. पावर प्रा.लि., चेन्नई
7.		मैसर्स जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जयपुर
8.	रतलाम	मैसर्स जी.ई.टी. पावर प्रा.लि., चेन्नई
9.		मैसर्स जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जयपुर
10.		मैसर्स जेनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जयपुर
11.	झाबुआ	मैसर्स जी.ई.टी. पावर प्रा.लि., चेन्नई
12.		मैसर्स जी.ई.टी. पावर प्रा.लि., चेन्नई
13.	बरवानी	मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि., हैदराबाद
14.	बुरहानपुर	मैसर्स विंध्या टेलीलिंक्स लि., नई दिल्ली
15.	देवास	मैसर्स अग्रवाल पावर प्रा.लि., भोपाल
16.	खंडवा	मैसर्स जी.ई.आई. इंडस्ट्रियल सिस्टम्स लि., भोपाल
17.	खरगोन	मैसर्स विंध्या टेलीलिंक्स लि., नई दिल्ली
18.		मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि., हैदराबाद
19.	मंदसौर	मैसर्स जी.ई.आई. इंडस्ट्रियल सिस्टम्स लि., भोपाल
20.	नीमच	मैसर्स जी.ई.आई. इंडस्ट्रियल सिस्टम्स लि., भोपाल
21.	शाजापुर	मैसर्स अग्रवाल पावर प्रा.लि., भोपाल
22.	खंडवा	मैसर्स यूबीटेक प्रा.लि., फरीदाबाद
23.	नीमच	मैसर्स प्राची कंस्ट्रक्शन, अलीराजपुर
24.	रतलाम	मैसर्स आनंद इलेक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली
25.	उज्जैन	मैसर्स सावन एसोसिएट्स, नागपुर
26.	अलीराजपुर	मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लि., हैदराबाद
27.	धार	मैसर्स यूबीटेक प्रा.लि., फरीदाबाद
28.	इंदौर	मैसर्स कैटस्किल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि., पुणे
29.	झाबुआ	मैसर्स नीलीशिखर इंफ्रा, इंदौर

****

<u>अनुबंध-II</u>

राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	जिले का नाम	संविदाकार का नाम
1	नारायणपुर	मैसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लि., मुंबई
2	बस्तर	मैसर्स कोरामंडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (प्रमुख भागीदार) और मैसर्स पवानी कंट्रोल्स एंड पैनल्स प्रा. लि., हैदराबाद (अन्य एवं तकनीकी भागीदार)
		मैसर्स पवानी कंट्रोल्स एंड पैनल्स प्रा. लि., हैदराबाद (प्रमुख भागीदार) एवं मैसर्स कोरामंडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (अन्य भागीदार)
		मैसर्स मां हर्सिद्धी इंफ्रा डेवलेपर्स प्रा. लि. (प्रमुख भागीदार, मैसर्स पंचमुखी एक्जिम प्रा. लि. (संयुक्त उद्यम भागीदार) और मैसर्स अंजनी पावर (संयुक्त उद्यम)
3	कोंडागांव	मैसर्स के.आर. कंस्ट्रक्शन (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 1669 दिनांक 13.08.2015 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 1348 दिनांक 27.06.2016 के तहत संशोधित किया गया था)
		मैसर्स के.आर. कंस्ट्रक्शन (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 3672 दिनांक 01.01.2016 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 5465 दिनांक 10.11.2016 के तहत संशोधित किया गया था)
4	नारायणपुर तथा बस्तर	मैसर्स चडालवाड़ा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., हैदराबाद
5	नारायणपुर	मैसर्स के.आर. कंस्ट्रक्शन (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 2309 दिनांक 26.09.2015 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 4189 दिनांक 03.02.2016 के तहत संशोधित किया गया था तथा संख्या 501 अंतिम रूप से दिनांक 04.05.2016 के तहत संशोधित किया गया था)
6	बीजापुर	मैसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लि., मुंबई (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 11679 दिनांक 26.03.2010 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 10451 दिनांक 11.03.2013 के तहत संशोधित किया गया था तथा संख्या 2007 दिनांक 07.09.2015 के तहत अंतिम रूप से संशोधित किया गया था)
7	दंतेवाड़ा	मैसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लि., मुंबई (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 11681 दिनांक 26.03.2010 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 10453 दिनांक 11.03.2013 के तहत संशोधित किया गया था तथा संख्या 2008 दिनांक 07.09.2015 के तहत अंतिम रूप से संशोधित किया गया था)
		मैसर्स ज्योति स्ट्रक्चर लि., मुंबई (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 11683 दिनांक 26.03.2010 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 10455 दिनांक 11.03.2013 के तहत संशोधित किया गया था तथा संख्या 2009 दिनांक 07.09.2015 के तहत अंतिम रूप से संशोधित किया गया था)

8	दंतेवाड़ा और बीजापुर	मैसर्स एसवी एसोसिएट्स, रायपुर (जेवी) प्रमुख और तकनीकी भागीदार, मैसर्स ए.पी. सिन्हा, रायपुर अन्य भागीदार, मैसर्स विनय कुमार लालवाणी, धमतरी
9	कोरिया	मैसर्स पीएसआर एल्कॉन प्रा. लि., हैदराबाद
		मैसर्स श्री गोपीकृष्ण इंफ्रास. प्रा. लि., हैदराबाद
10	जशपुर	मैसर्स पीएसआर एल्कॉन प्रा. लि., हैदराबाद
		मैसर्स के.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी खमारडीह
		मैसर्स पीएसआर एल्कॉन प्रा. लि., हैदराबाद
		मैसर्स पीएसीई पावर सिस्टम प्रा. लि., हैदराबाद (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 6651 दिनांक 05.12.2012 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 2187 दिनांक 18.09.2015 के तहत संशोधित किया गया था)
		मैसर्स पीएसीई पावर सिस्टम प्रा. लि., हैदराबाद (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 6652 दिनांक 05.12.2012 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 2188 दिनांक 18.09.2015 के तहत संशोधित किया गया था)
		मैसर्स पीएसीई पावर सिस्टम प्रा. लि., हैदराबाद (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 6653 दिनांक 05.12.2012 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 2189 दिनांक 18.09.2015 के तहत संशोधित किया गया था)
		मैसर्स राजपुताना केबल्स एंड कंडक्टर्स (पी) लि. (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 1452 दिनांक 10.09.2013 को जारी किया गया था, जो शुद्धिपत्र संख्या 3250 दिनांक 01.12.2015 के तहत संशोधित किया गया था)
11	कोरबा	मैसर्स श्री गोपीकृष्ण इंफ्रास्ट. प्रा. लि., हैदराबाद
12	धमतरी	मैसर्स श्री गोपीकृष्ण इंफ्रास्ट. प्रा. लि., हैदराबाद (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 4080 दिनांक 26.08.2014 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 2391 दिनांक 01.10.2015 के तहत संशोधित किया गया था)
13	महासमुंद	मैसर्स श्री गोपीकृष्ण इंफ्रास्ट. प्रा. लि., हैदराबाद (प्रारंभ में अवार्ड संख्या 4082 दिनांक 26.08.2014 को जारी किया गया था, जो अवार्ड संख्या 2374 दिनांक 30.09.2015 के तहत संशोधित किया गया था)
14	जांजगीर-चंपा	मैसर्स गोपीकृष्ण इंफ्रास्ट. प्रा. लि., हैदराबाद

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-567

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

567. श्री डी. पी. त्रिपाठीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में कितने गांव और ग्रामीण परिवारों को कवर किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने में आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया था कि राज्य में कोई भी गैर-विद्युतीकृत राजस्व गांव नहीं था। तदन्तर, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने सूचित किया है कि नवीकरणीय स्रोतों के कार्यशील नहीं होने के कारण 280 राजस्व गांव और 1514 **वड़ीपाड़ा** (वासस्थल) निर्विद्युतीकृत हो गए हैं। महाराष्ट्र ने राज्य योजना के अन्तर्गत उन्हें विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने अगस्त, 2015 में 3.95 लाख बीपीएल घरों सहित 30,245 विद्युतीकृत गांवों, 49,387 वासस्थलों को शामिल करते हुए 2163.44 करोड रुपए की लागत से महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए 37 परियोजनाएं अनुमोदित की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-568

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत की कमी

568. श्रीमती मीशा भारतीः
श्री प्रेम चन्द गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इस योजना पर कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है;

(ग) क्या सरकार एनटीपीसी, बराह से अधिक बिजली राज्य सरकार को देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। वर्तमान में बिहार को केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से 2718 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया गया है। बिहार को मूल रूप से बाढ़ सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन (बीएसटीपीएस) से 1183 मेगावाट के सुनिश्चित हिस्से का आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के अनुरोध पर, पश्चिम बंगाल के वापस किए गए हिस्से से बीएसटीपीएस से 701 मेगावाट का अवंटन बिहार को किया गया था। तथापि, बिहार ने दिनांक 19.10.2016 के पत्र के माध्यम से बाढ़ से आवंटित विद्युत के 30% डिएलोकेट करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, पावर एक्सचेंज में मौजूद विद्युत सहित बाजार में विद्युत उपलब्ध है और बिहार की यूटिलिटियां विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इनकी खरीद कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, बिहार में वितरण प्रणाली के सुधार के लिए, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत 5,856.36 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 2,111 करोड़ रुपये तक की राशि वाली परियोजनाओं को एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) स्कीम के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है। इससे बिहार के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति में सुधार होगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-569

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

पन बिजली परियोजनाओं का लंबित होना

569. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के समक्ष लंबित पन बिजली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन डीपीआर में से कितनी परियोजनाएं तमिलनाडु से संबंधित हैं और उन विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : कुल 9979 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की 12 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में जांचाधीन है। ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। इन डीपीआर में से, कोई भी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 21.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 569 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

भारत में सीईए में जांचाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(10.11.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	क्वार	जम्मू व कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	540
2	स्वालकोट	जम्मू व कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीडीसी	1856
3	जेलम टमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	108
4	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	300
5	डगामारा	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	130
6	उम्नगोट	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	210
7	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	केएचईपीसीएल	1800
8	अट्टुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680
9	मगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएमसीपीसीएल	96
10	किरथई-II	जम्मू व कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	930
11	डुगर	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएचपीएल	449
12	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880
			कुल		**9979**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-570
जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण संबंधी पूछताछ

570. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार नगला-फतेला के बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हुए गाँवों के विद्युतीकरण की जांच सी.बी.आई. से कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण की सूचना संबंधित राज्य सरकार/राज्य डिस्कामों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ने डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत नई निर्मित अवसंरचना के निरंतर विद्युतीकरण के लिए सभी तत्काल कदम उठाने के लिए राज्य को सलाह दी है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-571
जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बिजली की कमी

571. श्री सन्तियुस कुजूरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत परियोजनाओं की कमी के कारण उत्तर-पूर्व क्षेत्र में रोजाना के बिजली-कर में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बिजली की कमी को समाप्त करने के लिए वहां नई विद्युत परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 16 से अक्तूबर, 16 तक) के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में व्यस्ततमकालीन विद्युत कमी, पिछले वर्ष की **संगत** अवधि में 8.4% से घटकर 0.5% रह गई है। इसी प्रकार से, चालू वर्ष में ऊर्जा की कमी, पिछले वर्ष की **संगत** अवधि में 6.9% से घटकर 3.5% रह गई है।

(ग) और (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, विद्युत कटौती करने सहित, विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्र स्थापित करने और वहां से राज्य सरकारों को विद्युत के आबंटन द्वारा ही उनके प्रयासों का अनुपूरण करती है।

केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है। इस संबंध में, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि. (नीपको) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नीपको के दो गैस आधारित विद्युत स्टेशन तथा एक जल विद्युत परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के मामले में, असम में 291 मेगावाट असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपी) तथा त्रिपुरा राज्य में 135 मेगावाट अगरतला गैस टर्बाइन कंबाइन साइकल पावर प्लांट (एजीटीसीसीपी) को प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत गैस मूल्य पर 40% तक की छूट दी गई है। एजीबीपी के लिए एक मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी), और एजीटीसीसीपी के लिए 0.75 एमएमएससीएमडी की मात्रा तक बाजार मूल्य का 60% गैस मूल्य प्रभारित किया जाता है जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विद्युत की लागत में कमी आती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में 12वीं योजना **अवधि** के दौरान कुल 1103.1 मेगावाट की छः ताप विद्युत इकाईयां/मॉड्यूल चालू की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 625.5 मेगावाट की पाँच ताप विद्युत इकाईयां/मॉड्यूल निर्माणाधीन हैं जिनसे 12वीं योजना अवधि में तथा इसके बाद लाभ मिलेगा।

इस समय, पूर्वोत्तर क्षेत्र राष्ट्रीय ग्रिड से भली-भांति जुड़ा हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य, दिशा-निर्देशों अनुसार, विद्युत विनिमय के माध्यम सहित बाजार से विद्युत खरीद सकते हैं क्योंकि बाजार में पर्याप्त मात्रा में अधिशेष विद्युत उपलब्ध है।

एनटीपीसी ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए असम में बोगाईगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की है। तथापि, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने इस विद्युत संयंत्र से विद्युत के डिएलोकेशन के लिए अनुरोध किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-572

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव

572. श्री दिलीप कुमार तिर्कीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में वोल्टेज का उतार-चढ़ाव बेहद आम समस्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वोल्टेज में निरंतर उतार-चढ़ाव के कारण बिजली आपूर्ति बेकार हो जाती है और यदि हां, तो बिजली आपूर्ति में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। उपभोक्ताओं को पर्याप्त और गुणवत्ता विद्युत की आपूर्ति संबंधित राज्य सरकार/डिस्कॉमों का उत्तरदायित्व है। केंद्रीय सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) सहित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुकर बनाने के लिए कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन के लिए प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र वोल्टेज प्रोफाइल का सुधार करने के लिए डीडीयूजीजेवाई कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है।

****

भारत सरकार
विद्‌युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-573
जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2016 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी-भेल विद्‌युत परियोजना की स्थिति

573. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनटीपीसी-भेल पॉवर प्रोजेक्ट्स लि. कब आरंभ हुई थी, मूल लागत क्या थी और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मन्नावरम में इसे स्थापित करने के पीछे अन्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) उपरोक्त संयुक्त उद्‌यम के पूरा होने पर अनुमानित कितने रोजगार सृजित होने थे;

(ग) क्या इसकी आधारशिला 2010 में रखी गई थी लेकिन अब तक कोई वास्तविक काम नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के आरंभ होने की संभावित तारीख क्या है और इसमें कितना समय तथा लागत ज्यादा आएगी?

उत्तर

विद्‌युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनबीपीपीएल एनटीपीसी लि. तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) की संयुक्त उद्‌यम कंपनी है। एनटीपीसी और भेल के बीच दिनांक 07 सितम्बर, 2007 को समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त उद्‌यम करार पर दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को हस्ताक्षर कि**या** ग**या था**। कंपनी, दिनांक 28 अप्रैल, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी।

कंपनी का मुख्य उद्देश्य विद्‌युत क्षेत्र की सामर्थ्य तथा क्षमता बढ़ाने और दोनों प्रवर्तक कंपनियों (एनटीपीसी तथा भेल) के प्रयासों का अनुपूरण करना है।

पूंजीगत निवेश दो चरणों में निम्नानुसार तैयार किया गया:

चरण-I: सीएचपी/एएचपी के लिए ईपीसी तथा निर्माण सुविधाएं : 1200 करोड़ रुपये

चरण-II: टर्बाइन, जेनरेटर तथा बॉयलर के लिए निर्माण सुविधाएं : 4800 करोड़ रुपये

चरण-I के लिए निवेश किराया प्रतिमान अपनाकर ईपीसी व्यय को 13.55 करोड़ रुपये तक कम करके 363.94 रुपये किया गया है। तथापि, दिनांक 21.03.2011 को आयोजित बीसवीं बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने निर्णय लिया कि एनबीपीपीएल 4 से 5 साल के बाद ही चरण-II शुरू करेगा।

(ख) : विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, चरण-I तथा चरण-II के लिए वित्त वर्ष 2016-17 तक 6100 लोगों के लिए रोजगार सृजन होने का अनुमान है। इसमें से, चरण-I में, इस पर विचार करते हुए कि एनबीपीपीएल वर्ष 2016-17 तक, 30 ईपीसी आदेशों तथा 10 सीएचपी एवं एएचपी परियोजनाओं का निष्पादन करेगा, इससे 1250 लोगों के लिए रोजगार सृजन होने की आशा है।

(ग) से (ङ) : जी हाँ। एनबीपीपीएल मन्नावरम संयंत्र की आधारशिला दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को रखी गई थी। सुविधा प्रचालन में है तथा वाणिज्यिक उत्पादन मई, 2015 से चालू हो गया है। आज की तारीख में, कोई लागत आधिक्य नहीं है।

****